न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू खत्री आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 14/2018
आरसीएमएस नम्बरः– 2018/00033

1. रामेश्वरसिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर

.......वादी

——बनाम——

1. अविनाश पुत्र रामेश्वरसिह जाति यादव निवास उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री राजेश वैद अभिभाषक वादी।
2. स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित।
3. स्टेट की और से राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः–** 15/3/2021

इस वाद पत्र में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खरीद शुदा खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही उदयरामसर के खसरा नम्बर 1692 तादादी 1.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1973/1712 तादादी 3.63 हैक्टयर कुल 5.43 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि वादी ने मूल खातेदार बलवन्तसिह पुत्र मोहब्बतसिह जाति यादव के नाम खातेदारी में थी, से जरिये बैयनामा दिनांक 23.07.2009 को खरीद की तथा बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 817 दर्ज किया गया। उक्त इन्तकाल के पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग खाता कायम किया जाना था क्योकि मूल खातेदार बलवन्तसिह ने अपनी कुल खातेदारी भूमि में से दो खसरा विशेष की कुल भूमि विकय की थी। राजस्व विभाग ने सहवन से मूल खातेदार की कुल भूमि के साथ ही वादी का नाम भी खाते में संयुक्त रूप से रख दिया जो कानून के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत है तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे दुरुस्ती की जानी आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित भूमि का खाता वादी के नाम से अलग कायम ना किये जाने के कारण मूल खाते मे ही सह खातेदार के रूप में वादी का नाम दर्ज हो जाने के कारण कई प्रकार की भ्रान्तियां उप्पन्न हो गई तथा आगे चल कर मूल खातेदार बलवन्तसिह ने अपने शेष चार खसरा नम्बरान क्रमशः 935 तादादी 7.87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 936 तादादी 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 तादादी 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1045 तादादी 7.00 हैक्टयर कुल तादादी 15.53 हैक्टयर की एक वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से की तत्पश्चात मूल खातेदार का देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार राजस्व बीकानेर ने वसीयत [illegible] की प्रकरण संख्या 10/13 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वसीयत के अनुसार भूमि का इन्तकाल [illegible] करने बाबत आदेश दिनांक 28.01.2014 को पारित किया। रेस्पोन्डेट संख्या 1 के [illegible] आदेश दिनांक 28.01.2014 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.04.2014 को स्वीकृत किया गया। [illegible] बलवन्त सिह के नाम 15.53 हैक्टयर भूमि दर्ज रखी गई तथा वादी की खरीद शुदा खातेदारी भूमि तादादी 5.43

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 11:58:40 IST
Reason: SelfAttested

पर का नामान्तकरण रेस्पोन्डेट संख्या 1 के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल की है तथा उक्त इन्तकाल वादी के अधिकारों के समक्ष प्रभाव हीन व शून्य है। वादी अपनी खरीद शुदा खातेदारी भूमि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में अपने नाम दर्ज कराने का हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरूस्ती योग्य है। नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.04.2014 पूर्ण रूप से त्रुटि पूर्ण है तथा वादी के खातेदारी अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन व शुन्य है। नामान्तकरण संख्या 1585 को अवैध व शुन्य घोषित कराने हेतु वादी का यह दावा है। नामान्तकरण संख्या 1585 के इन्द्राजात राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज हो चुके है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 5.43 हैक्टयर भूमि वादी के नाम दर्ज किये जाने योग्य है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादगत भूमि 5.43 हैक्टयर जंहा जहां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, वहां वहां वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर दर्ज करवाने का हकदार है जिसके लिए दावा है। वादी ने नियमानुसार धारा 80 सीपीसी का नोटिस राज्य सरकार को जरिये जिला कलक्टर बीकानेर के दिनांक 6.5.2016 को प्रस्तुत किया था लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई इसलिए मजबूर होकर वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड रहा है तथा नोटिस की अवधि दो माह गुजर जाने के दिन वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न हो गया जिससे दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित वादगत भूमि में 5.43 हैक्टयर भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा खाता अलग कायम कराने का हकदार है। नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.04.2014 त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादी के खातेदारी के समक्ष अवैध व शुन्य है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य है। जिसमें 5.43 हैक्टयर भूमि वादी की खातेदारी व शेष 15.53 हैक्टयर भूमि रेस्पोन्डेट संख्या 1 के नाम कम में दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में 5.43 हैक्टयर भूमि जंहा जंहा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, वहां वहां दुरूस्ती कर वादी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

इस वाद के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाली जबाबदावा पेश कर निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। स्टेट की और से राजपेरोकार उपस्थित नही आये।

बहस वकिल वादी सुनी। वकिल वादी ने बहस करते हुवे निवेदन किया की वादी ने खसरा नम्बर 1692 तादादी 1.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1973/1712 तादादी 3.63 हैक्टयर कुल 5.43 हैक्टयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.7.2009 को खरीद की है। बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 817 दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.4.2014 राजस्व अधिकारियों की भूल के कारण इन्तकाल वादी के अधिकारों की विपरीत दर्ज किया गया है। मूल खातेदार ने कमशः खसरा नम्बर 935 तादादी 7.87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 936 तादादी 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 तादादी 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1045 तादादी 7.00 हैक्टयर कुल तादादी 15.53 हैक्टयर की एक वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से की तत्पश्चात मूल खातेदार का देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार राजस्व बीकानेर ने वसीयत से इन्तकाल का प्रकरण संख्या 10/13 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वसीयत के अनुसार भूमि का इन्तकाल दर्ज करने बाबत आदेश दिनांक 28.01.2014 को पारित किया गया है, जिसकी प्रति पत्रावली के संलग्न है। वादी को खरीद शुदा भूमि का काश्तकार खातेदार तथा खाता अलग से कायम करने के आदेश प्रदान करे।

बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। संलग्न रिकार्ड बैयनामा की फोटो प्रति, नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.04.2014 की फोटो प्रति, तहसीलदार बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.01.2014 की फोटो प्रति, वसीयत की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, वाद के निर्णय की प्रति, का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह भी है वादी ने खसरा नम्बर 1692 तादादी 1.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1973/1712 तादादी 3.63 कुल 5.43 हैक्टयर भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.7.2009 को खरीद की है। प्रतिवादी संख्या 01 की खसरा नम्बर 935 तादादी 7.87 हैक्टयर,

सहायक कलक्टर बीकानेर

सहायक कलक्टर बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 11:38:40 IST
Reason: SelfAttested

रा नम्बर 936 तादादी 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 तादादी 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1045 दादी 7.00 हैक्टयर कुल तादादी 15.53 हैक्टयर भूमि तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.01.2014 एवं संलग्न वसीयत की प्रति से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को उक्त भूमि बलवन्तसिह पुत्र मोहब्बतसिह से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। वादी का वाद स्वीकार करने से प्रतिवादी संख्या 01 को किसी प्रकार का कोई एतराज नही है। खसरा नम्बर 1692 तादादी 1.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1973/1712 तादादी 3.63 हैक्टयर कुल 5.43 हैक्टयर भूमि वादी रामेश्वरसिह पुत्र मुकुन्दसिह के नाम दर्ज की जानी थी। परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अंकित कर दी गई है जो अधिकारों के विरूद्व है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर। नामान्तकरण संख्या 1585 दिनांक 21.04.2014 खारिज किया जाता है। खसरा नम्बर 1692 तादादी 1.80 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1973/1712 तादादी 3.63 हैक्टयर कुल 5.43 हैक्टयर भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी का खाता अलग से कायम किया जावे। शेष भूमि खसरा नम्बर 935 तादादी 7.87 हैक्टयर, खसरा नम्बर 936 तादादी 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 तादादी 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1045 तादादी 7.00 हैक्टयर कुल तादादी 15.53 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज की जावे। डिकी जारी हो । निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को प्रेषित की जावे। प्रकरण नम्बर 1216 से कम किया जाकर। बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दू खत्री RAS)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 11:38:40 IST
Reason: SelfAttested